बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03 / 02–भू0अ0नि0(विशेष सर्वेक्षण कर्मी)शिवहर–40 / 2022..6051.. पटना, दिनांक :- 22/09/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक 390 दिनांक 24.06.2023 द्वारा श्री गोलू कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03994) के विरूद्ध इन्हें आवंटित ग्राम नारायणपुर, थाना नं0–113 का खानापुरी कार्य 05 माह में किया गया है एवं 04 माह 22 दिन बीत जाने के बाद भी प्रपत्र–6 इंट्री एवं लेखन का कार्य पूर्ण नहीं करने के साथ–साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा बार–बार कार्य में तेजी लाने का निदेश दिए जाने के बावजूद इनके द्वारा कार्य को गंभीरता से नहीं लिया गया है, जो अनुशासनहीन, कर्त्तव्यहीन, स्वेच्छाचारी एवं लापरवाह कर्मी की पुष्टि करता है। फलस्वरूप संविदा समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 5612 दिनांक 10.07.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। इनके द्वारा स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि DLRS SITE का सुचारू रूप से कार्य नहीं करने के कारण कार्य में विलंब हुआ है एवं शीघ्र ही ऑनलाईन संधारण पूर्ण कर लेने की बात कही गयी है।

आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशालय पत्रांक 6556 दिनांक 21.08.2023 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से सुस्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 530 दिनांक 23.08.2023 द्वारा मंतव्य भेजा गया है, जिसमें यह अंकित है कि आरोपित के विरूद्ध पूर्व प्रतिवेदित आरोप से लेकर मंतव्य दिए जाने तक 07 माह के बाद भी मात्र 1928 इंट्री किया गया है। इस परिपेक्ष्य में इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए ऐसे अनुशासनहीन एवं अकर्मण्य कर्मी की संविदा बनाए रखने का औचित्य नहीं है, अतः इनकी संविदा समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है।

आरोपित के विरूद्ध लगाए गए आरोप, बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा तथा आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में DLRS SITE का सुचारू रूप से नहीं चलने के विरूद्ध कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिया गया है, जो इनके कथन की पुष्टि करता हो जबकि निदेशालय स्तर पर इस बिन्दु की आई0टी0 कोषांग से जांच करायी गयी तो यह प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि DLRS SITE हमेशा सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। इस प्रकार इनके द्वारा कार्य से बचने के लिए मनगढ़ंत, बेबुनियाद तथ्य दिया गया है। विशेष सर्वेक्षण कार्यो के लिए प्रक्रमवार समयावधि निर्धारित है, जिसमें प्रपत्र–06 इंट्री हेतु 45 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गयी है। आरोपित द्वारा उक्त कार्य 07 माह की लम्बी अवधि के बाद भी पूर्ण नहीं करने से स्पष्ट है कि इनके द्वारा कार्यो में रूचि नहीं ली जा रही है एवं सर्वेक्षण जैसे कार्य में लापरवाही बरती जा रही है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का नियोजन किया गया है, परन्तु ऐसे कर्मियों के रहते निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इनके कृत्य का प्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है, जो सर्वेक्षण जैसे समयबद्ध कार्यक्रम के लिए उचित नहीं होगा। इस परिपेक्ष्य में इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही कार्यहित में उचित है।

अतः **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)''** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री गोलू कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03994) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

(जय सिंह) 15/9/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0(विशेष सर्वेक्षण कर्मी)शिवहर–40 / 2022 8051 **पटना, दिनांक** :– 22/09/2023

प्रतिलिपि :– श्री गोलू कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03994), बंदोबस्त कार्यालय, शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0(विशेष सर्वेक्षण कर्मी)शिवहर–40 / 2022 8051 **पटना, दिनांक** :– 22/09/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0(विशेष सर्वेक्षण कर्मी)शिवहर–40 / 2022 8051 **पटना, दिनांक** :– 22/09/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित इनकी व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
15/9/23